

प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 06.11.2023

नकली शराब बेचने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा के पर्यवेक्षण में, आबकारी निरीक्षक अजीत सिंह यादव सेक्टर 1 गोरखपुर एवं थाना प्रभारी पिपराइच के नेतृत्व में 30 नवंबर 2023 को राजकुमार मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता सीमा देवा पत्नी मुनीब निषाद निवासिनी जंगल तिनकोनिया न0-3 नर्सरी थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को 37 अदद शीशी नकली शराब (बण्टी बबली का नकली स्टीकर लगा) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 933/2023 धारा 60 आब0 अधि0 व 419,420,467,471 भादवि पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

सीमा देवा पत्नी मुनीब निषाद निवासिनी जंगल तिनकोनिया न0-3 नर्सरी थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 933/2023 धारा 60 आब0 अधि0 व 419,420,467,471 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

37 अदद शीशी देशी शराब बण्टी बबली का स्टीकर लगा, प्रत्येक 200 मिली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

- 1.आबकारी निरीक्षक अजीत सिंह यादव सेक्टर 1 गोरखपुर
- 2.आबकारी सिपाहियान प्र0आ0सि0 पंकज पाण्डेय,
- 3.प्र0आ0सि0 प्रदीप कुमार
- 4.आ0सि0 विकास मिश्रा,
- 5.आ0सि0 राघवेन्द्र वर्मा
- 6.म0आ0सि0 सुनीता पटेल
- 7.30 नवंबर 2023 को राजकुमार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
- 8 हे0 का0 मो0शाहिद खान थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
- 9 हे0का0 प्रदीप सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर